राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/ 2785 दिनांक: 27/6/2018

बैठक कार्यवाही विवरण

विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण की स्ववित्तपोषित योजना *'CLICK' (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge)* क्रियान्वयन, प्रचार प्रसार, संबलन, मॉनिटरिंग, प्रगति एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 की कार्ययोजना बनाने हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 25.06.2018 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिअ, जयपुर
2. प्रतिनिधि, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. प्रतिनिधि, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
4. उपनिदेशक (ICT), रामाशिप, जयपुर
5. उपनिदेशक–मॉडल स्कूल, रामाशिप, जयपुर
6. उपनिदेशक–आदर्श स्कूल, रामाशिप, जयपुर
7. प्रतिनिधि, आरकेसीएल, जयपुर (सदस्य–2)

बैठक का कार्यवृत्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने तथा पूर्ण शुल्क का पूर्ण भुगतान करने वाले विद्यार्थियों को RKCL द्वारा तत्काल प्रमाण पत्र जारी किये जाने संबंधित निर्देश दिये गये।
2. जिन विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, किन्तु पाठ्यक्रम शुल्क विद्यालय में जमा नहीं करवाया है। उन विद्यार्थियों को शुल्क जमा कराने हेतु 15 दिवस का अन्तिम समय दिया जावें। इस कार्य की मानिटरिंग उपनिदेशक–मॉडल स्कूल/आदर्श विद्यालय, रामाशिप, जयपुर द्वारा की जानी है। इसके उपरान्त Certificate RKCL के द्वारा जारी किया जावें।
3. प्रवेशोत्सव सत्र 2018–19 में क्लिक योजना के संबंध में PTA/PTM में अभिभावकों/विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से होने वाले लाभ के बारे में अवगत करवाकर रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. वर्तमान शिक्षा सत्र हेतु जिन विद्यालयों द्वारा क्लिक योजना का प्रारम्भ नही किया गया है वह विद्यालय अपने निकटतम आरकेसीएल अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्र से एमओयू सम्पादित कर योजना का सफल संचालन किया जावें।
5. नवीन शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर 2018 तक करवाया जावें। इस हेतु पूर्व में अनुबन्धित आईटी ज्ञान केन्द्र से सेवाए सन्तुष्ट होने पर MOU का extension किया जा सकता है। ज्ञान केन्द्र की सेवाए सन्तुष्ट नही होने की स्थिति में अन्य आरकेसीएल अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्र से एमओयू किया जा सकता है।
6. राज्य के भौगोलिक विभाजन को देखते हुये योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिले के सीमान्तर क्षेत्र मे स्थिति विद्यालयो में सीमान्तर क्षेत्र से जुड़े जिले के ज्ञान केन्द्र उस क्षेत्र के विद्यालयो के साथ अनुबंध कर सकते है। इस अनुबंध की स्वीकृति RKCL के द्वारा विवचेना करने के पश्चात दी जावेगी।
7. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क जो बालको/अभिभावकों द्वारा विद्यालय में जमा करवा दी गई है। इस शुल्क को तत्काल सेवाप्रदाता एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/अति. जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी (आईसीटी) द्वारा जिला स्तर पर योजना की प्रगति एवं सफल संचालन हेतु मानीटरिंग का कार्य किया जावेगा।
9. योजना का प्रारम्भ सत्र के किसी भी माह में प्रारम्भ होने के पश्चात संस्थान को विद्यार्थियों का पूर्ण पाठ्यक्रम कराना अनिवार्य है।
10. नवीन सत्र 2018–19 हेतु पाठ्यक्रम हेतु संचालित की जाने वाली कक्षाओं की समय सारणी का निर्माण विद्यालय स्तर पर किया जावेगा।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2018/ 2786 दिनांकः 27/6/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
3. निजी सहायक, कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. उपायुक्त (तृतीय) रामाशिप जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक, आर.के.सी.एल. जयपुर।
6. उपनिदेशक आईसीटी/मॉडल स्कूल/आदर्श स्कूल, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक